निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 481) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-07/2020/4376/लेज:।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 07, 2020]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रभावी हुये माने जायेंगे।

2. **मूल अधिनियम में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन।**–मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''168क. विशेष परिस्थितियों में समय–सीमा के विस्तार हेतु सरकार की शक्तियाँ।–

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वैसे कार्यों, जिन्हें अप्रत्याशित घटना के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की बावत इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट, या विहित या अधिसूचित समय–सीमा का विस्तार कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख से, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' पद का अर्थ युद्ध, महामारी, बाढ़, सुखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में प्रभाव डालने वाला अन्यथा कोई कारण होगा।''।

3. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–3, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-07/2020/4377/लेजः।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 07, 2020]

THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2020

AN

ACT

to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) The provisions of this Act shall deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

2. Insertion of new section 168A in Act 12 of 2017.- After section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the following section shall be inserted, namely:-

'168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or

prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation.— For the purposes of this section, the expression "*force majeure*" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.'.

3. Repeal and Savings.- (i) The Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-3, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. CHOUDHARY,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 481-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in